



राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक- प-19(1)(150)निमअ/साथिनजाजम/2007

2323-2355

जयपुर, दिनांक- 25/11/19

सहायक निदेशक,
महिला अधिकारिता विभाग,
जिला- समस्त।

विषय:- ग्रामस्तरीय महिला जाजम बैठक किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभागीय परिपत्र क्रमांक 22430 दिनांक 05.07.2017 के बिन्दु संख्या 9(4)(अ) के अनुसार साथिनों द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित की जाने वाली ग्रामस्तरीय महिला जाजम बैठकों में सहभागीता की जानी अनिवार्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि साथिनों द्वारा की जाने वाली जाजम बैठकों की मोनटरिंग सुचारु रूप से की जावें एवं आप द्वारा सहभागीता की जाने वाली जाजम बैठकों की रिपोर्ट प्रतिमाह निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(रेणु खण्डेलवाल)
अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

क्रमांक- प-19(1)(150)निमअ/साथिनजाजम/2007 2356- जयपुर, दिनांक- 25/11/19
प्रतिलिपी:- 2357

1. निजी सहायक, निदेशक, म.अ. को उनके यू.ओ. नोट क्रमांक 2072-77 दिनांक 22.01.19 के क्रम में प्रेषित है।
2. प्रोग्रामर, म.अ. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता